न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 3/2022

अनवान मुकदमा -

1. रणवीर पुत्र मंगतूराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रामकरण पुत्र मंगतूराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. मंगतूराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. पालाराम पुत्र मंगतूराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सुमित्रा पुत्री मंगतूराम पत्नी संपतराम जाति जाट निवासी 28 एस.एस.डब्लयू. तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता -- वादीगण सं. 1 ता 2
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता -- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3

-:: निर्णय :-

दिनांक - 01/02/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में अकिंत किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा सजरा खानदान पेश किया गया है। वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 12 जेड.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 14 के प.नं. 82/367(2) की [illegible] प.नं. 82/368(5) की 6.262 हैक. व प.नं. 83/367(3) की 2.328 हैक. [illegible] प.नं. [illegible]68(4) की 6.325 हैक. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल [illegible] हैक. कमाण्ड मय [illegible] खाला मे 1/12 हिस्सा यानि 1.2945 हैक. कमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी [illegible] चक के खाता सं. 15 के प.नं. 81/368(6) की 4.908 हैक., प.नं. 81/369(7) [illegible] 6.072 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 10.980 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/6 हिस्सा यानि 1.830 हैक. कमाण्ड,अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला इसप्रकार दोनो खातो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:42 IST
Reason: SelfAttested

01/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मे कुल 3.1245 हैक कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.1 मंगतूराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 सलंग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं.1 को उनके पिता रावताराम से विरासतन में मिली है। जिसमें वादीगण का प्रतिवादी सं.1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 व 3 नें अपना-अपना समस्त हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में छोड़ दिया है। इसप्रकार वादीगण (रणवीर- रामकरण) व प्रतिवादीगण सं. 2 (पालाराम) को घरू बंटवारा में तहसील पीलीबंगा के चक 12 जेड़.डबल्यू.डी. के खाता संख्या 14 के प.न. 82/367(2) की 0.620 हैक., प.न. 82/368(5) की 6.262 हैक. व प.नं. 83/367(3) की 2.328 हैक., प.नं. 83/368(4) की 6.325 हैक. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल 15.535 हैक. कमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/12 हिस्सा यानि 1.2945 हैक. कमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 15 के प.नं. 81/368(6) की 4.908 हैक., प.नं. 81/369(7) की 6.072 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 10.980 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/6 हिस्सा यानि 1.830 हैक. कमाण्ड,अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला इसप्रकार दोनों खातों में कुल 3.1245 हैक कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है, वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 को घरूबंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण (रणवीर- रामकरण) व प्रतिवादीगण सं. 2 (पालाराम) को तहसील पीलीबंगा के चक 12 जेड़.डबल्यू.डी. के खाता संख्या 14 के प.न. 82/367(2) की 0.620 हैक., प.न. 82/368(5) की 6.262 हैक. व प.नं. 83/367(3) की 2.328 हैक., प.नं. 83/368(4) की 6.325 हैक. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल 15.535 हैक. कमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/12 हिस्सा यानि 1.2945 हैक. कमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 15 के प.नं. 81/368(6) की 4.908 हैक., प.नं. 81/369(7) की 6.072 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 10.980 हैक. कमाण्ड,अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/6 हिस्सा यानि 1.830 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला इसप्रकार दोनों खातों में कुल 3.1245 हैक कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

01/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.01.2022 को वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पंति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौंता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वा[illegible] प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष [illegible] हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद [illegible] किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आ[illegible] पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 जेड़.डबल्यू.डी. के खाता संख्या 14 के प.न. 82/367(2) की 0.620 हैक., प.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:42 IST
Reason: SelfAttested

01/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

82/368(5) की 6.262 हैक. व प.नं. 83/367(3) की 2.328 हैक., प.नं. 83/368(4) की 6.325 हैक. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल 15.535 हैक. कमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/12 हिस्सा यानि 1.2945 हैक. कमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 15 के प.नं. 81/368(6) की 4.908 हैक., प.नं. 81/369(7) की 6.072 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 10.980 हैक. कमाण्ड,अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला मे 1/6 हिस्सा यानि 1.830 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला इसप्रकार दोनो खातो मे कुल 3.1245 हैक कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि का वादीगण (रणवीर- रामकरण) व प्रतिवादीगण सं. 2 (पालाराम) ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

01/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:42 IST
Reason: SelfAttested